निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :119/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अशोक कुमार पुत्र स्व॰ श्री दामोद प्रपौत्र चुन्नीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम धोला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री चिमनलाल मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ ।
2. रामगोपाल, बनवारीलाल } पुत्र स्व॰ श्री शिवदयाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अर्जुनपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. हरिनारायण पुत्र दामोदर प्रपौत्र चुन्नीलाल ब्राह्मण निवासी ग्राम धोला तहसील जमवारामगढ, तहसील
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जमवारामगढ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 113/2013 ब उनवानी शिव दयाल बनाम हरिनारायण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

उपस्थित:

1. श्री श्री रमेश कुमारशर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.02.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 113/2013 ब उनवानी शिव दयाल बनाम हरिनारायण व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री संदीप शर्मा के वकील उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 06.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी पेश किया गया था जिस पर आज दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस नहीं सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर गत दिनांक 15.09.2023 को जब प्रार्थी द्वारा बहस सुने जाने का निवेदन किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को धमकाते हुए कहा कि मै तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र पर क्या ही बहस सुनुगा वैसे भी मै इसे खारिज करूंगा और बाद में अन्तिम डिक्री जारी करूंगा । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को निवेदन किया गया कि एक बार प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर ले, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक द्वारा स्पष्ट शब्दों में धमकाते हुए कहा कि मुझे नही करना कोई अवलोकन प्रार्थना पत्र को मैं खारिज करूंगा और बाद में अन्तिम डिक्री करूंगा । अप्रार्थी संख्या 2 व 4 अपने-धनबल एवं भुजबल के आधार पर पीठासीन अधिकारी से साजिश करते हुए येन केन प्रकारेण उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज कर वाद में अन्तिम डिक्री करवाने पर आमादा है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की किंचित मात्र भी सम्भावना नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम अदालत में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के वकील ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्ति पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 113/2023 ब उनवानी शिवदयाल बनाम हरिनारायण व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में अन्तरण किया जाता है।

9. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ एवं सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **05.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner